www.krishipravahika.vitalbiotech.org

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2022) वर्ष 2, अंक 10, 19-23

Article ID: 224

मनरेगा : ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका

भूरी सिंह[1], डॉ. अतुल कुमार यादव

[1]शोधार्थी

[2]एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, ए.के.(पीजी) कॉलेज शिकोहाबाद (उ.प्र.)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 25 अगस्त, 2005 को कानून द्वारा अधिनियमित एक रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा को मूल रूप से नरेगा नाम से जाना जाता था जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में संक्षिप्त किया गया। यूपीए सरकार ने इसमें "एमजी" (महात्मा गांधी) जोड़ा और मनरेगा बन गई। मनरेगा एक सामाजिक सुरक्षा रोजगार अधिनियम है जो भारत में गरीब व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी देता है।

मनरेगा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके माध्यम से एक भारतीय नागरिक को वर्ष में कम से कम 100 दिन काम करने का अधिकार दिया जाता है। यदि वह काम करने के लिए तैयार है तो उसे अपने क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर (15 दिनों के भीतर) नौकरी प्रदान की जाती है अन्यथा राज्य सरकार उसके बेरोजगारी भत्ते के लिए उत्तरदायी होती है। इस योजना में मजदूरी को भी अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इस योजना के तहत हर गांव में सभी वयस्कों को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। प्रत्येक कामगार अपने क्षेत्र के भीतर सड़कों, तालाबों, कुओं आदि के निर्माण के लिए काम आवंटित किया जाता है। इसके तहत व्यक्तियों को श्रम-प्रधान कार्यों अर्थात बिना मशीनरी व गैर तकनीकी जैसे कि जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण, सामाजिक लाभ के लिए अधोसंरचना निर्माण आदि को ही प्राथमिकता दी जाती है। मूल रूप से ग्रामीणों के पास केवल ऐसे कार्य ही थे जो आर्थिक रूप से अनुत्पादक है। गांवों में मुख्य कार्यान्वयन अधिकार प्राप्त संस्थाएं ग्राम पंचायतें हैं और इनकी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही भी है। ग्राम पंचायतों को भी ग्राम सभा के लिए सुझाव देकर योजना बनाने का अधिकार है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा जॉब कार्ड भी जारी किए जाते हैं एवं सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी मजदूरी जमा की जाती है। मनरेगा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसने ग्रामीण भारत के लोगों को बिना किसी भी धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना अपनी आय अर्जित करने का उचित अवसर प्रदान किया है। मनरेगा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह महिलाओं को पुरुषों के समान भुगतान करती है, यह एक ऐसा तथ्य व प्रयास है जो ग्रामीण भारत में लगभग अकल्पनीय था।

शोध के उद्देश्य -

1. ग्रामीण भारत के रोजगार सृजन में मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना
2. ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध क्रियाविधि - यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है। इसमें तथ्यों का संकलन इंटरनेट, समाचार पत्रों, रिपोर्टों, पत्र - पत्रिकाओं, अप्रकाशित शोध ग्रंथों आदि से एकत्र किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न ग्राफ और प्रतिशतक विधि का उपयोग किया गया है।

ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका - भारत अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं जीडीपी पैमाने के अनुसार यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

पिछले दो दशकों में लगभग 7% की औसत विकास दर के साथ, देश को एक नए औद्योगीकृत देश और जी -20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गांवों की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र देश के समग्र आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान देता है और इसलिए ग्रामीण भारत में विकास कार्यक्रमों की पर्याप्त आवश्यकता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास को संबोधित करने के लिए कई रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए। उनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक प्रमुख प्रमुख पहल है जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देती है, मनरेगा का उद्देश्य रोजगार के लिए कम से कम 100 दिनों की गारंटी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में मजदूरी रोजगार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। भारत साकार के प्रत्येक बजट में स्वच्छता, कृषि, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा, कौशल विकास, बाजार से जुड़ाव, बुनियादी सुविधाओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल समावेश आदि जैसी कुछ गतिविधियों के लिए धन का आवंटन किया जाता है। मनरेगा ने ग्रामीण जनसंख्या को शहरों में प्रवास करने से काफी हद तक रोका है एवं इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी काफी सहायता मिली। मनरेगा में जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जैसे श्रम प्रधान कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में मदद करते हैं। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए कार्यों के बदले ग्रामीण कामगारों को मजदूरी प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्य मनरेगा के माध्यम से किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं।

- जल संरक्षण और जल संचयन।
- वृक्षारोपण और वनीकरण सहित सूखे की जांच करना।
- सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति व इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों एवं भूस्वामियों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- टैंकों की गाद निकालना व पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण करना।
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्रण एवं विभिन्न कार्यों का संरक्षण, जिसमें जलजमाव वाले क्षेत्रों की जल निकासी भी शामिल है।
- सभी मौसमों में ग्रामीण संपर्क बनाए रखने के लिए सड़कें उपलब्ध कराना।
- कोई अन्य कार्य, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित किया जाता है।

उपर्युक्त विकास कार्यों के माध्यम से मनरेगा ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। मनरेगा द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व सिंचाई नहरों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के विकास आदि जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना - हमारे देश ने आजादी के सत्तर साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण भारत में गरीबी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। जब तक गरीबी एवं ग्रामीण विकास इन दोनों समस्याओं का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो जाता तब तक देश आर्थिक विकास के चरम तक पहुँचने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए, स्वतंत्रता के बाद से भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रमों को उत्पादक रोजगार और अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए लगातार नया रूप दिया जाता रहा है। सत्तर के दशक में, भारत के नीति निर्माताओं ने ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

जैसे दृष्टिकोणों का इस्तेमाल किया। सत्तर के दशक के अंतिम चरण में, सरकार ने तीन प्रमुख गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों यथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) का शुभारंभ किया। इसके अलावा, भारत सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए अलग-अलग नामों और उद्देश्यों के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जैसे कार्य के लिए भोजन, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना आदि जिनके माध्यम से कामगार व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। लेकिन ये कार्यक्रम इतने सफल साबित नहीं हुए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण मांग के अनुसार पर्याप्त रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने में असमर्थता थी। इन रोजगार कार्यक्रमों की सीमाओं जैसे रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण भारत में पारिवारिक गरीबी को कम करने की अक्षमता ने अन्य प्रकार के रोजगार मॉडल बनाने की आवश्यकता पैदा की। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पेश किया, जिसने ग्रामीण भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 एक उन्नत और क्रांतिकारी योजना प्रतीत होती है जो सीधे भारतीय नागरिक को रोजगार का अधिकार प्रदान करती है। मनरेगा के माध्यम से, सरकार ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जो इस तरह के काम की मांग करता है और जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से ऐसा काम करते हैं, रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे काम को न्यूनतम मजदूरी दर पर एवं जहां तक संभव हो उसके गांव के, जहां उसका निवास है, के 5 किमी के दायरे में ही प्रदान किया जाए। आवेदक जिस गांव में रहता है। यदि स्थानीय सरकार उस आवेदक को 15 दिनों के भीतर ऐसा वेतन रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह योजना प्रथम चरण में 2006-2007 के दौरान देश भर के 200 जिलों से शुरू होकर 2007-2008 के दौरान चरण-2 में उसका विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में किया गया। मनरेगा योजना को 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण भारत में लागू कर दिया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा ने ही सर्वाधिक योगदान दिया। चित्र सं. 1 विभिन्न राज्यों के ग्रामीण गरीबी के आंकड़े (2009-2010) एवं रोजगार प्रदान करने वाले परिवारों की औसत संख्या (2009-10, 20010-11, 2011-12 के दौरान) के सहसंबंध को दर्शाता है। समग्र स्तर पर एक राज्य में ग्रामीण गरीबों की संख्या और मनरेगा के तहत रोजगार दिए जाने वाले परिवारों की संख्या के बीच एक सह-संबंध प्रतीत होता है। हालाँकि, इसके कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अपने राज्य के गरीबी स्तर की तुलना में मनरेगा के तहत अधिक रोजगार प्रदान किया है। वहीं बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने गरीबी के स्तर की तुलना में मनरेगा फंड के उपयोग में अपेक्षाकृत पीछे रह जाते हैं।

मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) ने इस योजना के तहत किए गए कुल खर्च का 50% हिस्सा लिया। यह भी देखा गया कि तीन राज्यों, अर्थात बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 46% ग्रामीण गरीबी हैं, परंतु उन्होंने लगभग 20% धन का ही उपयोग किया एवं कुल परिवारों में से केवल 20% को ही इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया गया। यह इंगित करता है कि एक राज्य में गरीबी के स्तर और मनरेगा के कार्यान्वयन के बीच बहुत कम संबंध था।

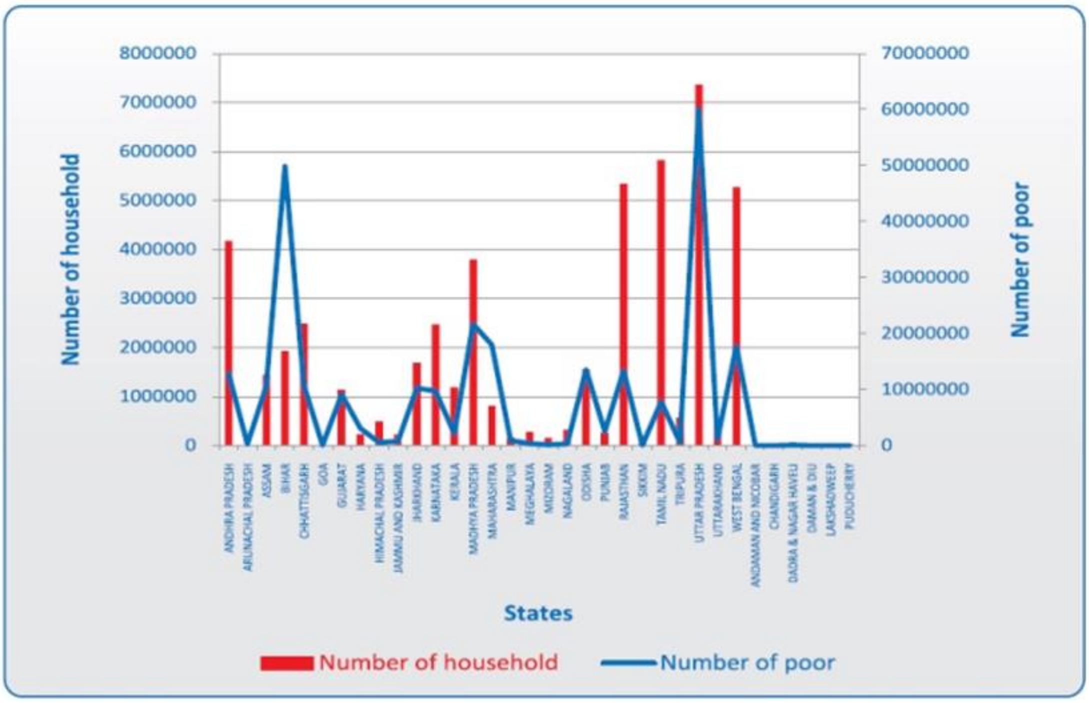

चित्र संख्या : 1 – योजना आयोग के गरीबी से सम्बंधित आंकड़े एवं मनरेगा के रोजगारी से आंकड़े

निष्कर्ष - उपरोक्त साक्ष्य एवं अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि समग्र गरीबी में कमी और ग्रामीण भारत के विकास पर मनरेगा की भूमिका दिखाई देती है। मनरेगा अधिनियम एवं इसके परिचालन दिशानिर्देश में अलग-अलग राज्यों और पंचायती राज संस्थानों में विभिन्न तरीकों से योजना के क्रियान्वयन की निगरानी में अंतर देखा गया हैं। राज्य के अधिकारियों द्वारा मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों के सत्यापन में भी कमी पायी गयी। गुणवत्ता की निगरानी व सतर्कता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना न के बराबर की गई है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदन और निधि जारी करने में काफी कमियां व लापरवाहियां पायी गयी। योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को निर्णायक व प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए गहन निगरानी तंत्र और विकास प्रणालीयां विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित समय अंतराल पर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। राज्यों द्वारा प्रकाशित गरीबी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि तीन राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारत के 46 प्रतिशत ग्रामीण गरीब थे, लेकिन इस योजना के तहत जारी कुल धन का केवल लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ही यहां प्रयोग किया जा रहा था। अत: यह पाया गया कि मनरेगा के तहत गरीब व्यक्ति अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा था।

सन्दर्भ ग्रन्थ - सूची

- Kumar, S. (2014) Role of MGNREGA in Rural Employment: A review, international journal of economics and business review, ISSN 2347-9671.
- कुमार, एस. (2014), रोल ऑफ़ मनरेगा इन रूरल एम्प्लॉयमेंट: ए रिव्यू, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिव्यू,* आईएसएसएन 2347-9671.
- डॉ कुमार, वी., (2014), रोल ऑफ़ मनरेगा टू एलिमिनेट पावर्टी फ्रॉम इंडिया, अक्टूबर 2014, वॉल्यूम IX, नंबर 2,

ISSN: 0973-4503 RNI UPENG 2006/17831

- मोहम्मद रहमतुल्लाह (2011), मनरेगा: द रोल इन इन्क्लुसिव ग्रोथ, *academia.edu*, नई दिल्ली।
- कार्तिका, के.टी. (2015), इम्पैक्ट ऑफ़ मनरेगा ऑन सोशियो-इकॉनोमिक डेवलपमेंट एंड वूमेन एम्पावरमेंट , आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर-जेबीएम) ई-आईएसएसएन: 2278-487एक्स, पी-आईएसएसएन: 2319-7668। खंड 17, अंक 7. देखें। II (जुलाई 2015), पीपी 16-19
- रिपोर्ट ऑफ़ कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया ऑन परफॉरमेंस ऑडिट ऑफ़ मनरेगा
- www.nrega.nic.in/misreport.htm
- www.livemint.com/Politics/LupcSW9DSZLqDJfBY1LQMM/MGNREGA-status-report--Working-towards-empowerment.html